



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 03.06.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 241/24 धारा 498A/304B/323/201 भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.05.2024 को वादिनी श्रीमती रामकली पत्नी काशीराम निवासी ग्राम लखमीधर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 16.05.2024 को अभियुक्तगण 1.रवि पुत्र ओमी सिंह 2.काजल पुत्री ओमी सिंह 3.अनीता पुत्री ओमी सिंह निवासीगण



ग्राम सानीपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री ऊमा के साथ कम दहेज देने के कारण प्रताडित करते हुए मारपीट की गयी तथा वादिनी की पुत्री को जहरीला पदार्थ खिलाकर फांसी लगा दी एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से वादिनी को बिना सूचना दिये वादिनी की पुत्री का अन्तिम संस्कार भी कर दिया । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 241/24 धारा 498A/304B/323/201 भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम रवि आदि उपरोक्त कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रवि पुत्र ओमी सिंह निवासी ग्राम सानीपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रवि पुत्र ओमी सिंह निवासी ग्राम सानीपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.पीआरडी अमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 03.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम ने मु0अ0सं0 453/24 धारा 302/120-B भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 29.05.2024 को श्री सुशील चौधरी निवासी मन्नुपुरम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 453/24 धारा 302 भादवि बनाम दो व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 02.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा घटना का षडयंत्र रचने वाले 05 अभियुक्तगण 1.वसीम 2.अतुल चौधरी 3.नईमुद्दीन 4.शुभम चौधरी 5.अरनव तोमर को गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 120-B भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 03.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हसीन पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हसीन पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना कोतवाली शहर पुलिस

स्वाट / सर्विलांस टीम



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना रेहड

दिनांक 03.06.2024

थाना रेहड पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 105/22 धारा 376/506/420/467/468/471 भादवि व 3/4 पाँक्सो अधि0 व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.08.2022 को वादी ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अभियुक्त मोनू पुत्र ओमी निवासी ग्राम फजलपुर मच्छमार थाना रेहड जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन के साथ गलत काम किया तथा उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 105/22 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाँक्सो अधि0 व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 420/467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2024 को थाना रेहड पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र ओमी निवासी ग्राम फजलपुर मच्छमार थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मोनू पुत्र ओमी निवासी ग्राम फजलपुर मच्छमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह सोलंकी थाना रेहड जनपद बिजनौर।

2. उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना नगीना

दिनांक 03.06.2024

थाना नगीना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 148/24 धारा 363/120बी/376 भादवि व 3/4 पाँक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.05.2024 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. अमन पुत्र शीशराम निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर 2.कृष्ण कुमार पुत्र नन्हे सिंह द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाया गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 148/24 धारा 363/120बी भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 02.06.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पाँक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही—

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 148/24 धारा 363/120बी/376 भादवि व 3/4 पाँक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त अमन पुत्र शीशराम निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.अमन पुत्र शीशराम निवासी ग्राम काजीवाला उर्फ लधापुर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर

दिनांक 03.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 445/2024 धारा 376/506 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.05.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र रामलाल सिंह निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ गलत काम किया गया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 445/2024 धारा 376/506 भादवि बनाम प्रदीप कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 445/2024 धारा 376/506 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र रामलाल निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रदीप कुमार पुत्र रामलाल सिंह निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1491 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 03.06.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त मौ० कैफ पुत्र मौ० शमीम निवासी मौ० इस्लामनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 284/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मौ० कैफ पुत्र मौ० शमीम निवासी मौ० इस्लामनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1-एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० महेन्द्र सिंह नागर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी 2576 अमित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 03.06.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त मौ० राशिद पुत्र मौ० शाबिर निवासी मौ० कचहरी सराय कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 283/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मौ० राशिद पुत्र मौ० शाबिर निवासी मौ० कचहरी सराय कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1-एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना स्योहारा

दिनांक 03.06.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 263 / 24 धारा 452 / 307 / 323 / 504 / 506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.03.2024 को वादी जागेश कुमार पुत्र मनोहर सिंह निवासी ग्राम कादराबाद खुर्द थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण हरजीत सिंह व सुरजीत सिंह निवासीगण ग्राम कादराबाद खुर्द थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने वादी के घर में घुसकर गाली गलौच करते हुये मारपीट की तथा अभियुक्त हरजीत सिंह द्वारा जान से मारने की नियत से वादी के सिर पर धारदार हथियार से वार किया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 263 / 24 धारा 452 / 307 / 323 / 504 / 506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 263 / 24 धारा 452 / 307 / 323 / 504 / 506 भादवि में वांछित अभियुक्त सुरजीत सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम कादराबाद खुर्द थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.सुरजीत सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम कादराबाद खुर्द थाना स्योहारा बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 यशपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 2.मुख्य आरक्षी 568 अंशल अहलावत थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 03.06.2024

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 211/2024 धारा 323/363/354 भादवि व धारा 9/10 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.06.2024 को वादी द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रतन पुत्र भगवाना निवासी ग्राम नारायणपुर पाली थाना नहतौर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला – फुसलाकर अपने साथ खेत पर ले गया तथा उसके साथ छेड़छाड़ की गयी एवं शरीर पर काटने लगा । तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 211/2024 धारा 323/363/354 भादवि व धारा 9/10 पॉक्सो अधिनियम बनाम रतन उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 211/2024 धारा 323/363/354 भादवि व धारा 9/10 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त रतन पुत्र भगवाना निवासी ग्राम नारायणपुर पाली थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रतन पुत्र भगवाना निवासी ग्राम नारायणपुर पाली थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री ब्रजराज सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 359 रविशंकर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 731 रोहित थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावली

दिनांक 03.06.2024

थाना मंडावली पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2024 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त प्रदीप पुत्र घसीटा निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रदीप पुत्र घसीटा निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 महेशचन्द सिंह थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
2. का0 56 धर्मेन्द्र सिंह थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना स्योहारा

दिनांक 03.06.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 131/24 धारा 363/366/506 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.03.2024 को वादिनी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की धेवती को बहला फुसलाकर ले जाया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 131/24 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 04.04.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 366/506 भादवि की वृद्धि की गयी तथा अभियोग में अभियुक्तगण 1.सोनू पुत्र मुनीदेव निवासी निवासी डयोटी थाना बछरायुं जनपद अमरोहा 2.भूपेन्द्र पुत्र स्व0 काले निवासी ग्राम चुचेला थाना धनौरा जनपद अमरोहा के नाम प्रकाश में आये।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 131/24 धारा 363/366/506 भादवि में वांछित अभियुक्त भूपेन्द्र पुत्र स्व0 काले निवासी ग्राम चुचेला थाना धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- दिनांक 30.05.2024 को उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त सोनू पुत्र मुनीदेव उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.भूपेन्द्र पुत्र स्व0 काले नि0 ग्राम चुचेला थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 2.मुख्य आरक्षी 137 असकर खां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।